

## कोर्स रिपोर्ट

### इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ओफेंस

राजस्थान पुलिस अकादमी में इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ओफेंस विषय पर दिनांक 12.12.2016 से 16.12.2016 तक कोर्स का आयोजन किया गया।



इस कोर्स में पुलिस के उप निरीक्षक पुलिस से पुलिस निरीक्षक रैंक के 20 अधिकारियों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई। इस कोर्स के कोर्स डायरेक्टर श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक (विशिष्ट कोर्स एवं सी.ओ.ई.) ने कोर्स की प्रस्तावना के साथ कोर्स की शुरुआत की व इकोनोमिक ओफेंस के विभिन्न आयामों व उनका एनफोर्समेन्ट व अनुसंधान करने वाली विभिन्न संस्थाओं के बारे में बताया। कोर्स के दौरान श्री डी.पी. सैनी सेवानिवृत्त एडीपी ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों के बारे में जानकारी दी। भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री एम.एम. अत्रे ने इकोनोमिक ओफेंस से संबंधित लीगल प्रोविजन्स के बारे में जानकारी दी।

श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के वित्तीय अनुसंधान के बारे में जानकारी दी। सिक्योरिटी मार्केट की बुनियादी अवधारणा से संबंधित व संबंधित वित्तीय अपराधों के अनुसंधान की विभिन्न जानकारी हेतु श्रीमती ज्योति शर्मा, डिप्टी मैनेजर, सेबी को आमंत्रित किया गया।

श्री आर.एस. शर्मा सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक, एफ.एस.एल, जयपुर ने डिजीटल एवीडेन्स एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के संग्रहण के बारे में जानकारी दी। डॉ महेन्द्र कुमार पीपलीवाल, एडीपी, आरपीए ने गंभीर आर्थिक आपराधिक मामलों के कोर्ट में विचारण विचारण के संबंध में जानकारी दी। प्रतिभागियों को भूमि धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों की जांच हेतु प्रैक्टिकल जानकारीयां उपलब्ध करवाने हेतु श्री आर.एस. बत्रा सेवानिवृत्त आर.एस अधिकारी को आमंत्रित किया गया। श्री मिलींद अग्रवाल, साइबर एक्सपर्ट द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से किये जाने वाले आर्थिक अपराधों बैंकिंग वित्तीय अपराधों के अनुसंधान से संबंधित जानकारी दी। श्री मुकेश यादव उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने मोबाईल फोन व इन्टरनेट के उपयोग से आर्थिक अपराधों का पता लगाना, उनसे साक्ष्य एकत्रित करना व अपराधों को रोकने के संबंध में जानकारी दी।



कोर्स के अंतिम दिन समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान डी.सी. जैन, एडीजीपी (सतर्कता) राज. जयपुर ने प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कोर्स के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आर्थिक अपराधों के बारे में जानकारी दी।

समारोह के अन्त में मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण किये गये।